206

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर,केम्प सागर

निग - 3004 - I-16

भास्करन उर्फ भुल्ली तनय मथरा खगार
निवासी ग्राम सिमरा खुर्द तह. पलेरा
जि. टीकमगढ ....निगरानीकर्ता

22 AUG 2016

विरूद्व

1. म.प्र.शासन
2. उदल तनय कामता अहिरवार
निवासी ग्राम सिमरा खुर्द तह. पलेरा
जि टीकमगढ ....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् राजस्व निरीक्षक बराना तह. पलेरा जिला टीकमगढ द्वारा प्रकरण क्र 01/अ–12/15–16 में पारित आदेश दिनांक 11/07/16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

71
27/08/16

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सिमराखुर्द स्थित भूमि खसरा क्र 149/2/1/6 के सीमांकन हेतु अनावेदक क्र 2 द्वारा आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विपरीत तरीके से कार्यवाही कर विधि विरूद्व आदेश पारित किया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

(नितेन्द्र सिंह
एड.
9425171223)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–3004–एक/2016 जिला–टीकमगढ़

भास्करन उर्फ भुल्ली विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
07–03–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल बराना तहसील पलेरा, जिला–टीकमगढ़ के प्र.क्र. 01/अ–12/2015–16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 11–07–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 06–05–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जांये। (आर.के. जैन) सदस्य	7/3/19